न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
अपील संख्या – 13/2019
दायर दिनांक – 05.09.2019
निर्णय दिनांक – 27-1-21

उनवान

1. कबूल देवी पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति माली निवासी ढाणी झमेलावाली तन सुन्दरपुरा तह0कोटपूतली जिला अलवर राज0
2. दीपांशू पुत्र स्व0 सुरेन्द्र कुमार जाति माली निवासी ढाणी झमेलावाली तन सुन्दरपुरा तह0कोटपूतली जिला अलवर राज0 नाबालिग जरिये सरपरस्त माता कबूल देवी पत्नी सुरेन्द्र कुमार
3. दिव्या पुत्री स्व0 सुरेन्द्र कुमार जाति माली निवासी ढाणी झमेलावाली तन सुन्दरपुरा तह0कोटपूतली जिला अलवर राज0 नाबालिग जरिये सरपरस्त माता कबूल देवी पत्नी सुरेन्द्र कुमार

-- अपीलाण्टस

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत खेडा पंचायत समिति बानसूर तहसील बानूसर जिला अलवर राज0

-- रेस्पोडेण्टस

अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं. 753 ग्राम पंचायत खेडा निर्णय दिनांक 05.10.2015 वाके मौका झझारपुरा

उपस्थित अधिवक्तागण :-

1. अपीलान्ट – श्री भैरुसहाय स्वामी एड0

-:निर्णयः-

आज यह अपील हमारे समक्ष वास्ते आदेश पेश हुई। अपील के सुक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि अपी[illegible] एक अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट के तहत पेश कर[illegible] कि हाल आ0ख0नं0 325 रकबा 0.01 [illegible] है0 , 327

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.03.25 17:15:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

Scanned with CamScanner

रकबा 4.26 है0 वाकै मौजा झझारपुरा तह0बानसूर अपीलान्ट को उनके पति/पिता की मृत्यू के बाद जरिये विरासत इन्तकाल सं0 753 दिनांक 05.10.2015 के द्वारा प्राप्त हुई है। अपीलान्ट सं0 2 व 3 अपने पिता सुरेंद्र की मृत्यू के समय नाबालिग थे तथा आज दिन भी नाबालिग है। जिस कारण अपीलान्ट नं0 02 व 03 के नाम इन्तकाल जरिये माता खुद अपीलान्ट सं0 01 के खोलना चाहिये था। लेकिन रेस्पो0 ने बिना कूाननी प्रक्रिया अपनाये अपने क्षेत्राधिकार से बाहर कार्य करते हुये अपीलान्ट सं0 02 व 03 के नाम इन्तकाल जरिये माता के दर्ज करने की बजाय सीधा ही स्वंय अपीलान्ट नं0 02 व 03 के नाम दर्ज कर दिया। जिसके आधार पर राजस्व रिकॉर्ड अमल में अपीलान्ट नं0 02 व 03 का नाम बिना सरपरस्त माता के दर्ज चला आ रहा है। जिसकी जानकारी मिन अपीलान्ट को क्रेडिट कार्ड के सिलसिले से पटवारी हल्का से मिलने से हुई। अपील अपीलान्ट स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 753 निर्णय दिनांक 05.10.2015 द्वारा ग्राम पंचायत खेडा खारीज किया जाकर अपीलान्ट नं0 02 व 03 को जरिये माता अपीलान्ट नं0 01 के दर्ज व मंजूर किया जावे।

अपील अपीलाण्ट दर्ज पंजिका की जाकर रेस्पो0 को जर्ये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो0 सं0 01 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनकी अनुपस्थिति दर्ज की गयी। सर्वप्रथम अपील के समय प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर सुना गया। अपीलाण्ट एक विधवा महिला है तथा ग्रामीण परिवेश की कम पढी-लिखी महिला होने के कारण विलम्ब अवधि कन्डोन की जाकर अपील अपीलाण्ट सुनवाई हेतु ग्रहण की जाती है। मूल नामान्तकरण संख्या 753 वाकै मौजा झझारपुरा तलब किया गया।

अपीलाण्ट वकील की बहस सूनी गई। पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन किया गया। विरासत नामान्तकरण सं0 753 वाकै मौजा झझारपुरा अपीलाण्ट के पिता/पति सुरेन्द्र कुमार की मृत्यू हो जाने पर उनके विधिक वारीसान के नाम ग्राम पंचायत खेडा द्वारा दिनांक 05.10.2015 को स्वीकार किया गया है। जिसमें उनके बच्चे दीपांशू व दिव्या जो कि नाबालिग थे , को सरपरस्त माता कबूल देवी ना दर्शाया जाकर सीधे ही खातेदारी कॉलम में दर्शाया गया है। जबकि [illegible] के साथ संलग्न जन्म प्रमाण-पत्र अनुसार दिपांशू की जन्मतिथि दिनांक 16.0[illegible]20[illegible] व दिव्या की जन्मतिथि 19.02.2015 है जो आज दिन भी नाबालिग [illegible] है। ग्राम पंचायत से विधि अनुसार अपीलाण्ट सं0 2 व 3 [illegible] जरिये सरपरस्त माता कबूल

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.03.25 17:15:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with CamScanner

देवी ही दर्ज करना चाहीये था। उक्त नामान्तकरण जांच का मोहताज है। उक्त विवेचानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

–:आदेश:–

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कि जाकर विरासत नामान्तकरण सं0 753 वाकै मौजा झझारपुर ग्रा0पं0 खेडा के निर्णय दिनांक 05.10.2015 को अपास्त (निरस्त) कर प्रकरण तहसीलदार बानसूर को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि वे उक्त नामान्तकरण का विधि सम्मत निर्णय पारित कर नामान्तकरण का पुनः निस्तारण करें।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर जिला अलवर

आज दिनांक 27-1-21 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर जिला अलवर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.03.25 17:15:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner